इकाई-I

अध्याय-1

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य व सिद्धान्त

(Objectives and Principles of India's Foreign Policy)

आधुनिक युग अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राष्ट्रों की पारस्परिक अन्तर्निर्भरता वह सच्चाई है जिससे कोई देश बच नहीं सकता। आज विश्व के सभी देश अपने-अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति व उनमें सम्वर्द्धन के लिये प्रयासरत् हैं। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी सम्बन्धों में स्वतन्त्र विदेश नीति का प्रयोग करता है। विश्व के अधिकांश देश यह प्रयास करते हुए देखे जाते हैं कि उनकी विदेश नीति का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इसलिए सभी देश अपने-अपने राष्ट्रीय हितों का अन्तर्राष्ट्रीय हितों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वे अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय हित के उन लक्ष्यों को गौण स्थान पर रख देते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में खट्टास पैदा करते हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत की अपने स्वतन्त्र व राष्ट्रीय हितों का अन्तर्राष्ट्रीय हितों से सामंजस्य स्थापित करने वाली विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि विदेश नीति क्या है ?

विदेश नीति क्या है ?

(What is Foreign Policy ?)

किसी भी स्वतन्त्र व प्रभुसत्तासम्पन्न देश की विदेश नीति मूल रूप में उन सिद्धान्तों, हितों तथा लक्ष्यों का समूह होती है जिनके माध्यम से वह देश दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने , उन सिद्धान्तों, हितों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत् रहता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसकी आन्तरिक नीति का ही एक भाग होती है जिसे उस देश की सरकार ने बनाया है। वास्तव में विदेश नीति शासक-वर्ग की इच्छा का परिणाम होती है जिसे क्रियान्वित करना सरकारी व गैर-सरकारी अभिकरणों का प्रमुख कर्त्तव्य है। विदेश नीति को कई विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :-

(1) मॉडेल्स्की के अनुसार-"कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो उपाय करता है, विदेश नीति कहलाती है।"

(2) हार्टमेन के अनुसार-"विदेश नीति जानबूझ कर चयन किए गए राष्ट्रीय हितों का एक क्रमबद्ध वक्तव्य है।"

(3) फैलिकस ग्रास के अनुसार-"अपने क्रियात्मक रूप में विदेश नीति एक सरकार के प्रति एक देश द्वारा दूसरे देश के प्रति अथवा एक सरकार द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनायी गई एक विशेष क्रिया पद्धति है।"

(4) पी०ए० रेनाल्डज के अनुसार-"विदेश नीति का अर्थ एक राष्ट्र के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित उन गतिविधियों की सीमाओं से है जिनके माध्यम से वे अपने सम्भावित राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े अन्य राष्ट्रों के साथ कार्यरत् रहते हैं।"

(5) ग्लाइचर के अनुसार-"अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य सम्बन्धों का संचालित करने के लिए करता है।"

(6) ह्यूज गिब्सन के अनुसार-"विदेश नीति, ज्ञान और अनुभव पर आधारित एक ऐसी सुनिश्चित और व हत योजना होती है, जिसके द्वारा किसी सरकार के शेष संसार के साथ सम्बन्धों का संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करना होता है।"

उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि विदेश नीति राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का वह साधन है जो अन्तर्राष्ट्रीय हितों को कोई हानि पहुँचाए बिना ही ऐसा करता है। मूल रूप से विदेश नीति के दो प्रमुख तत्व होते हैं। वे हैं ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्य जिन्हें कोई राज्य प्राप्त करना चाहता है और उन्हें प्राप्त करने के साधन। विदेश नीति के निर्माता सबसे पहले राष्ट्रीय उद्देश्यों की पहचान करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति के साधन सुनिश्चित करते हैं। सारांश तौर पर विदेश नीति राज्यों के ऐसे व्यवहार को कहा जा सकता है जिससे वे अपने कार्यों को नियन्त्रित करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अन्य राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन या उस पर नियन्त्रण करने के प्रयास भी करते हैं।

विदेश नीति व राष्ट्रीय हित

(Foreign Policy and National Interest)

विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में गहरा सम्बन्ध होता है। विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। विदेशनीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित की रक्षा करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए तर्कसंगत निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति के उद्देश्य - सुरक्षा और एकता को बनाये रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को दूर करना, आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना जिससे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में व द्धि हो, राजनीतिक व्यवस्था को सुद ढ़ करना और अन्य देशों में उसके निर्यात की इच्छा करना, एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उदय और उसे सुद ढ़ करने के प्रयास करना आदि हैं। इन समस्त उद्देश्यों का समूह देश का राष्ट्रीय हित होता है अर्थात् राष्ट्रीय हित विदेश नीति के सभी उद्देश्यों को समेट लेता है। राष्ट्रीय हित की रक्षा व सम्वर्द्धन के सभी प्रयास विदेश नीति के अन्तर्गत शामिल होते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्रीय हित को कहां तक प्राप्त कर पाती है। वास्तव में राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति का मूल उद्देश्य या साध्य होता है। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में ही किया जाता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति व सम्वर्द्धन के लिए ही विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व व गुटनिरपेक्षता की नीति (Policy of Peaceful co-existance and Non-alignment) ही अपनाई है। आवश्यकता पड़ने पर भारत देश विशेष के प्रति अपनी विशेष नीति भी अपनाई है।

विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में एक बात जो ध्यान रखने योग्य है, वह यह है कि कोई भी देश राष्ट्र-हित को छोड़कर अन्य किसी आधार पर आनी विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकता और न ही उस देश की सरकार राष्ट्र-हित के विरुद्ध कार्य कर सकती। मार्गेन्थों ने कहा है-"जब तक विश्व राजनीतिक रूप से राष्ट्रों में संगठित है, तब तक राष्ट्रीय हित ही विश्व सम्बन्धों की प्राथमिकता है।" अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई किसी का स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय हित में भी कुछ बदलाव अवश्य आते हैं जो विदेश नीति को भी बदल देता है। उदाहरण के लिये भारत की पाकिस्तान के प्रति नीति में 13 सितम्बर 2002 के बाद बदलाव आया। उसने संसद पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिए थे। लेकिन इस वर्ष (2004) भारत ने फिर से अपनी क्रिकेट टीक को पाकिस्तान में खेलने की अनुमति दे दी और लाहौर बस सेवा फिर से शुरु की गई तथा सीमा पर से सेनाएं पीछे हटाकर युद्ध-विराम जैसी स्थिति कायम की। ऐसा राष्ट्रीय हित के द ष्टिगत ही किया गया। ऐसा ही बदलाव सभी देशों की विदेश नीतियों में देखने को मिलता है। जब कोई विदेश नीति राष्ट्र-हित के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तो उसे बदल दिया जाता है।

विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रीय हित रूपी साध्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय हित तथा विदेश नीति के आपसी सम्बन्धों को जानने कि लिए राष्ट्रीय हित द्वारा विदेश नीति को प्रभावित करने वाली भूमिका का अध्ययन करना जरूरी है। राष्ट्र-हित की प्रभावकारी भूमिका को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :-

(1) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में प्रतिस्थापित करता है।

(2) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को नियन्त्रित करने वाले मापदण्डों का विकल्प प्रदान करता है।

(3) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को निरन्तरता प्रदान करता है और उसे गतिशील बनाता है।

(4) विदेश नीति स्वयं को राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में समायोजित करती है, अर्थात स्वयं को बदली अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार ढालती है।

(5) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं क्योंकि ये समाज के समन्वित एवं सर्वसम्मति पर आधारित मूल्यों की अभिव्यक्ति होते हैं।

(6) राष्ट्रीय हित विदेश नीति का दिशा-निर्देशन करते हैं।

जिस तरह राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार होता है, उसी तरह विदेश नीति राष्ट्रीय हित का निर्देशन करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विदेश नीति को हमेशा राष्ट्र हित पर आधारित करना सम्भव नहीं होता। कई बार राष्ट्रीय हित इतने अस्पष्ट होते हैं कि उन्हें विदेश नीति द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए सुरक्षा का हित इतना अधिक अस्पष्ट होता है कि उसे स्पष्ट होने के लिए विदेश नीति से सम्बन्धित होना पड़ता है। इसलिए आज यह मान्यता प्रबल हो चुकी है कि जिस तरह राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार है, उसी तरह राष्ट्रीय हित को आकार व अर्थ देने में विदेश नीति की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता।

भारत में विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य

(Objectives of India's Foreign Policy)

किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों को मध्येनजर रखकर ही किया जाता है। एक देश की विदेश नीति के उद्देश्य दूसरे देशों की विदेश नीतियों से कुछ साम्य व असाम्य अवश्य रहते हैं। आज सुरक्षा, सम द्धि व शान्ति का लक्ष्य किसी भी देश की विदेश नीति की आधारभूत विशेषता होता है। भारत भी इसी ध्येय को प्राथमिकता देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक

विकास भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा वर्णित ये उद्देश्य आज भी विदेश नीति के महत्वपूर्ण भाग हैं। भारत में आज भी विदेश नीति के वही उद्देश्य हैं जो 57 वर्ष पहले थे। भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का संविधान में ही उल्लेख किया गया है। संविधान में सभी उद्देश्यों पर राष्ट्रीय हित के उद्देश्य को ही प्राथमिकता दी गई है। स्वतन्त्रता से पहले भी भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लक्षण प्रकट होने लगे थे। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोीन की महत्वपूर्ण विरासत व वर्तमान विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो नवीन उपनिवेशवाद व डालर साम्राज्यवाद का विरोध करती है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(1) **अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखना व उसे प्रोत्साहित करना (To maintain and promote International Peace and Security) :-** स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार द्वारा निर्धारित विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा कायम रखना बताया गया। उस समय रूस और अमेरिका में शीत युद्ध का जन्म हो चुका था। भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को लेकर काफी चिन्तित था, क्योंकि भारत उपनिवेशवाद व दो विश्वयुद्धों का दंश अकेला झेल चुका था। भारत का यह भय था कि यदि विश्व में अशान्ति कायम हो गई तो उसका आगे बढ़ने का स्वप्न टूट कर बिखर जायेगा। ऐसे वातावरण में भारत अपने पड़ोसी देशों से भी सुरक्षित नहीं रह सकता था। इसी कारण नेहरु जी ने पंचशील-सिद्धान्त (1954) में भी इस ध्येय की सुरक्षा पर बल दिया ताकि भारत के पड़ोसी देशों तथा अन्य विश्व के देशों के साथ सम्बन्ध खराब न हों। भारत ने खाड़ी संकट, शीत युद्ध, लेबनान समस्या, अफगानिस्तान समस्या, वियतनाम समस्या आदि के प्रति चिन्ता व्यक्त करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह विश्व शान्ति व अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सदैव चिन्तित रहा है। भारत ने ईराक संकट तथा अफगानिस्तान समस्या की समसामयिक प्रव त्ति के प्रति अमेरिका की नीति को सही ठहराया है और साथ में ही विश्व में आतंकवाद पर सार्वभौमिक मापदण्ड अपनाए जाने का आग्रह भी किया है। भारत आज भी विश्व शान्ति को अपना आदर्श श्मानकर अपनी विदेश नीति का संचालन करता है और साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने की कोशिश भी करता है।

(2) **अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करना (Peaceful Settlement of International Disputes) :-** भारत का मापना है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से न किया गया तो विश्व में कभी शान्ति नहीं हो सकती तथा शान्ति के अभाव में न तो देश का आर्थिक विकास हो सकता है और न ही राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं। इसी कारण भारत ने जम्मू और कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा ताकि इसका शान्तिपूर्ण ढंग से हल हो सके। पाकिस्तान की तरफ से की गई आतंकवादी कार्यवाहियों के बावजूद भी भारत ने धैर्य व संयम से ही काम लिया है। अरब-इजराइल समस्या, अफगानिस्तान संकट, क्यूबा संकट, खाड़ी संकट आदि के दौरान भारत ने इन संकटों के निवारण के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन लेने का ही समर्थन किया है। वर्तमान में ईराक व अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों की भारत ने प्रसंशा की है। भारत ने हमेशा ही शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व व अहिंसा के सिद्धान्त को ही प्रमुखता दी है। इसके पीछे मूल ध्येय विश्वशान्ति कायम रखना ही रहा है। इसी कारण उसने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही हल करने पर जोर दिया है।

(3) **जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध (To oppose Racial discrimination and imperialism) :-** भारत स्वयं भी रंगभेद की नीति और साम्राज्यवाद दोनों विश्व मानवता व विश्व शान्ति दोनों के लिए भयंकर खतरा है। इसलिए वह स्वतन्त्रता से पहले

ही जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद के किसी भी रूप का विरोधी है। भारत ने शुरु से ही पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है ताकि विश्व से उपनिवेशवाद स साम्राज्यवाद के जहर को नष्ट किया जा सके। भारत की आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरी आस्था है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर मानवाधिकारों की सुरक्षा का समर्थक है और वह विश्व से रंगभेद की नीति और साम्राज्यवाद को नष्ट करने के लिए वचनबद्ध है। भारत आज भी अमेरिका व कई यूरोपीय देशों में एशियाई व अफ्रीकी मूल के लोागों के प्रति अपनाई जाने वाली जातीय भेदभाव की नीति का विरोध करता है।

(4) **अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना (Cooperation with International Organisations)** :- भारत की विदेश नीति प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति सकारात्मक रही है। भारत चाहता है कि विश्व से भूखमरी, बीमारी, निर्धनता, निरक्षरता, अकाल, आतंकवाद जैसी समस्याएं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना हल नहीं हो सकती। इसी कारण वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष आदि के साथ सहयोग करता रहता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति सहयोग की नीति अपनाना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है।

(5) **निःशस्त्रीकरण का समर्थन (Support Disarmament)** :- भारत हमेशा से ही शस्त्र-दौड़ के प्रति चिन्तित रहा है। परमाणु शस्त्रों के विकास ने तो भारत की चिन्ता को और बढ़ा दिया। यद्यपि भारत स्वयं भी परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है, लेकिन फिर भी विश्व शान्ति के लिए वह निःशस्त्रीकरण को आवश्यक मानता है। भारत का मानना है कि निःशस्त्रीकरण का सीधा सम्बन्ध आर्थिक विकास से होता है। यदि विश्व में पूर्ण निःशस्त्रीकरण हो जाए तो सम्पूर्ण विश्व से आर्थिक पिछड़ापन खत्म होने के कगार पर पहुंच सकता है। भारत हमेशा ही शान्ति का पुजारी रहा है। इसी कारण उसने निःशस्त्रीकरण के सभी प्रयासों का समर्थन किया है। यद्यपि भारत ने C.T.B.(1993) तथा NPT दोनों सन्धियों पर अपना समर्थन देने से इंकार कर दिया, परन्तु भारत आज भी समान सार्वभौमिक निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करता है।

(6) **सैनिक सन्धियों से दूर रहना (To oppose Military Alliances)** :- भारत की विदेश नीति किसी भी सैनिक गुट या सन्धि का विरोध करने की रही है। भारत का मानना है कि विश्व में उभरने वाले सैनिक संगठन विश्व शान्ति के लिए भयानक खतरा हैं। इसलिए नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रों को इनसे दूर रहना चाहिए। इसी कारण भारत ने SEATO, NATO तथा WARSA संधियों का हमेशा विरोध किया और वह किसी सैनिक संगठन का सदस्य नहीं बना। आज भी भारत किसी भी सैनिक संगठन के प्रयास का विरोध करता है।

(7) भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता (Non Allignment) पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। आज अधिकतर विद्वान गुटनिरपेक्षता को ही भारत की विदेश नीति कहते हैं। इसके पीछे मूल कारण यह है कि भारत शुरु से ही गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करता रहा है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो उस समय विश्व का विभाजन पूंजीवादी तथा साम्यवादी गुट में हो चुका था। इनमें से प्रथम का नेत त्व अमेरिका और दूसरे का नेत त्व सोवियत संघ कर रहा था। भारत ने विश्व के नवोदित राष्ट्रों के सामने गुटनिरपेक्षता का विकल्प रखा ताकि विश्व में चल रहे शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोका जा सके। इसी कारण 2004 में भी भारत ने इराक में अपनी सेना भेजने से मना किया। अतः भारत आज भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में गुट-निरपेक्षता की नीति का ही निर्वहन करता है।

(8) **अफ्रो-एशियाई एकता में विश्वास (Belief in Afro-Asian Unity)** :- भारत एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की एकता बढ़ाने में विश्वास करता है। भारत आज सार्क (SAARC) का सदस्य

होने के नाते दक्षिणी एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनानें के विचार का समर्थन करता है। इसी तरह वह 'हिमतेक्ष' 'हिन्द महासागर रिम' क्षेत्रीय संगठन के द्वारा हिन्द महासागर में स्थित देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की नीति का समर्थक है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा भी वह एशियाई व अफ्रीकी देशों में एकता बढ़ाने की नीति का समर्थन करता है।

(9) **पंचशील के सिद्धान्त का समर्थन (Support to 'Panchasheel')** :- भारत की विदेश नीति का निर्माण नेहरु युग में ही हुआ है। इसी कारण भारत की विदेश नीति को आलोचक आज भी नेहरु की नीति कहते हैं। नेहरु जी ने 1954 में विश्व के सामने अपने पांच सिद्धान्त पेश किए जो आज पंचशील सिद्धान्त के नाम से जाने जाते हैं। ये पांच सिद्धान्त हैं :- (i) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता व स्वतन्त्रता का सम्मान करना, (ii) किसी के घरेलु मामलों में हस्तक्षेप न करना, (iii) किसी दूसरे पर आक्रमण न करना, (iv) मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास तथा (v) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास। ये सभी सिद्धान्त आज भी भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण ध्येय हैं।

(10) **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति (Support Policy of Peaceful Coexistance)** :- भारत की विदेश नीति अहिंसा के विचार का समर्थन करती है। वह जीओ और जीने दो (Live and let live) के सिद्धान्त का पालन करती है। इसी कारण वह सभी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने की नीति है।

(11) **राष्ट्रमण्डल का समर्थन (Supporet Commonwealth of Nations)** :- भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य है। ब्रिटिश सम्राट या रानी राष्ट्रमण्डल का अध्यक्ष है। इसमें स्वतन्त्र व प्रभुसत्तासम्पन्न देश शामिल है। भारत का मानना है कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता बनाए रखना राष्ट्रीय हित में है। इसी कारण वह आज भी राष्ट्रमण्डल का समर्थक है।

(12) **नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का समर्थन (Support New International Economic Order)** :- भारत की विदेश नीति नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था (NIEO) की प्रबल समर्थक है। भारत चाहता है कि विश्व में आर्थिक सम्बन्धों की स्थापना की नए सिरे से की जानी चाहिए ताकि विश्व से आर्थिक भेदभाव खत्म हो सकें। इसी कारण वह WTO द्वारा किए जाने वाले भेदभावों का विरोध करता है। भारत का मानना है कि भेदभावपूर्ण आर्थिक सम्बन्धों को समाप्त किए बिना विश्व से गरीबी व भूखमरी को नष्ट करना असम्भव है। इसी कारण आज नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और विश्व से नव साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहता है। इसके लिए वह ASEAN देशों के साथ सहयोग में व द्वि करके अपने इस ध्येय को क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के द्वारा भी प्राप्त करने की द ढ़ इच्छा रखता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख ध्येय शुरु से ही रंगभेद की नीति व साम्राज्यवाद का विरोध करना रहा है। भारत ने हमेशा ही शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की नीति अपनाई है ओर विश्व शान्ति के विचार का प्रबल समर्थन किया है। पंचशील के सिद्धान्त के ध्येय के रूप में भारत की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की प्रबल पोषक रही है। गुटनिरपेक्षता, सैनिक संगठनों का विरोध तथा पंचशील के सिद्धान्त भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण ध्येय रहे हैं। भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों तथा विश्व के अन्य देशों के प्रति सहयोग व त्याग की रही है। भारत ने हमेशा ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान किया है और मानव अधिकारों के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत आज भी नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करके विश्व से आर्थिक असमानता कम करके मानव अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। भारत